भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1033
07.02.2020 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्र में परिवर्तन

1033. श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री सुशील कुमार सिंह:
डॉ. जयंत कुमार राय:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:
श्री विनोद कुमार सोनकर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ''भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019'' को जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या 2017 की तुलना में 2019 में वन क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) किन राज्यों के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और वन के अंतर्गत क्षेत्रफल के प्रतिशत के मामले में शीर्ष पांच राज्य, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र कौन-से हैं;
(घ) क्या वनों की कटाई और पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई की जांच के लिए कोई कानूनी प्रावधन मौजूद है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्वीकृत निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है और देश में वन क्षेत्र/क्षेत्र का व्यापक मानचित्रण तैयार करने में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2019 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई। आईएसएफआर 2019 के अनुसार, देश का कुल वन और वृक्षावरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर (किमी^{2}) है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। इसमें 7,12,249 किमी^{2} वनावरण और 95,027 किमी^{2} वृक्षावरण शामिल है। आईएसएफआर 2019 में आईएसएफआर 2017 की तुलना में 5,188 किमी^{2} (3,976 किमी^{2} वनावरण और 1,212 किमी^{2} वृक्षावरण) की वृद्धि दर्शाई गई है।

आईएसआफआर 2019 के अनुसार, अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा संरक्षण कार्यकलापों के कारण वनावरण में वृद्धि हुई है। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में झूम कृषि, खनन, बांधों, सड़क और रेलवे नेटवर्क के निर्माण आदि जैसे विभिन्न कारणों से वनावरण में कुछ कमी देखी गई है।

(ग) आईएसएफआर 2019 में शीर्ष के पांच राज्य, जहां आईएसएफआर 2017 की तुलना में वनावरण में अधिक वृद्धि दर्शाई गई है, आंध्र प्रदेश (3.52%), कर्नाटक (2.73%), केरल (4.05%), जम्मू और कश्मीर (1.60%) और हिमाचल प्रदेश (2.21%) हैं।

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण की प्रतिशतता की दृष्टि से शीर्ष पांच राज्य मिजोरम (85.41%), अरुणाचल प्रदेश (79.63%), मेघालय (76.33%), मणिपुर (75.46%) और नागालैंड (75.31%) हैं।

(घ) वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को रोकने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और विभिन्न राज्य अधिनियमों एवं नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करती हैं।

मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वनों के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें दावानल निवारण और प्रबंधन (एफपीएम) योजना, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी), राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) और वन्यजीव पर्यावासों का विकास (डीडब्ल्यूएच) शामिल हैं। हाल ही में प्रख्यापित प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 में भी वनों में सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरूज्जीवन, कृत्रिम पुनरूज्जीवन और वन संवर्धन कार्यकलाप शुरू करने हेतु प्रावधान सन्निहित हैं जो वनावरण में वृद्धि में योगदान करते हैं। मंत्रालय द्वारा लोगों की भागीदारी के माध्यम से स्कूल पौधशाला और शहरी वानिकी कार्यक्रमों में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

वनीकरण कार्यकलाप महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/निधीयन स्रोतों के तहत और राज्य/संघ राज्य सरकारों की स्कीमों/योजनाओं के तहत भी आरंभ किए जाते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफपीएम, एनएपी, जीआईएम और डीडब्ल्यूएच के तहत वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु जारी की गई निधि का ब्यौरा क्रमश: **अनुबंध-I,II,IIIऔर IV** में दिया गया हैं। गत तीन वर्षों के दौरान तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-V** में दिया गया है।

(ड.) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, उपग्रह आधारित दूरसंवेदी आंकड़ों तथा गहन जमीनी सत्यापन का प्रयोग करके द्विवार्षिक आधार पर वनावरण का मानचित्रण और आकलन करता है। इसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्टों में प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक वनावरण के 16 आकलन और मानचित्रण किए गए हैं। इन रिपोर्टों और वनावरण के मानचित्रों से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर विभिन्न घनत्व की श्रेणियों में कुल वनावरण संबंधी सूचना उपलब्ध होती है।

एफएसआई द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए वनावरण का आकलन करने हेतु पद्धति को समय-समय पर परिष्कृत किया जाता है। वर्तमान में, भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह के एलआईएसएस-III सेंसर डेटा का उपयोग करके न्यूनतम 1 हेक्टेयर मानचित्रण योग्य क्षेत्रफल के साथ 1:50,000 पैमाने पर मानचित्रण किया जाता है।

****

अनुबंध- I

''वन क्षेत्र में परिवर्तन'' के संबंध में दिनांक 07.02.2020 के उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1033 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दावानल निवारण और प्रबंधन योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधि का ब्यौरा

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष **2016-17**	वित्तीय वर्ष **2017-18**	वित्तीय वर्ष **2018-19**
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.5623	0.0900	0.2641
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	2.6006
3	अरुणाचल प्रदेश	1.8134	1.0200	0.8908
4	असम	0.00	0.00	0.9323
5	बिहार	0.8859	0.07500	0.5717
6	चंडीगढ़	0.7452	0.008	0.0100
7	छत्तीसगढ़	2.1104	1.6800	1.0460
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.50	0.30	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.8783
12	गुजरात	1.2226	0.7500	0.9216
13	हरियाणा	0.9391	0.7500	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	3.3136	2.7670	0.00

15	जम्मू और कश्मीर	0.9561	0.7500	0.00
16	झारखंड	1.9963	1.0500	1.0784
17	कर्नाटक	2.0327	1.0500	1.7470
18	केरल	1.6365	2.3453	2.7957
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	2.8115	1.6800	6.2825
21	महाराष्ट्र	3.7258	3.2158	7.8728
22	मणिपुर	1.2502	2.1988	2.3054
23	मेघालय	1.2657	1.0463	1.1353
24	मिजोरम	1.3129	0.9059	1.1047
25	नगालैंड	1.7001	0.9256	0.8312
26	ओडिशा	2.6614	1.6800	4.3500
27	पांडिचेरी	0.00	0.3000	0.4984
28	पंजाब	0.00	0.7500	0.00
29	राजस्थान	1.7422	1.0500	0.9882
30	सिक्किम	1.1973	1.4859	0.00
31	तमिलनाडु	0.7429	1.0500	0.00
32	तेलंगाना	0.00	1.0500	0.00
33	त्रिपुरा	1.9076	0.6600	1.0973
34	उत्तर प्रदेश	1.3972	0.7500	1.0061
35	उत्तराखंड	3.0403	1.6800	4.3838
36	पश्चिम बंगाल	0.9283	0.7500	0.5414
	कुल योग	**44.3975**	**34.5606**	**46.1336**

''वन क्षेत्र में परिवर्तन'' के संबंध में दिनांक 07.02.2020 के उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1033 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	1.33	3.36	6.38
2	बिहार	2.18	4.23	0.00
3	छत्तीसगढ़	4.92	10.86	7.82
4	गोवा	0.00	0.00	0.00
5	गुजरात	4.36	0.00	0.00
6	हरियाणा	3.50	2.71	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	1.72	2.92
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	7.20	0.00
9	झारखंड	0.00	0.00	0.00
10	कर्नाटक	7.33	3.24	10.99
11	केरल	0.00	0.00	0.00
12	मध्य प्रदेश	4.00	8.74	7.78
13	महाराष्ट्र	4.76	6.73	15.33
14	ओडिशा	4.62	3.49	11.36
15	पंजाब	0.00	0.00	0.00
16	राजस्थान	0.00	1.40	1.95
17	तमिलनाडु	1.56	0.00	2.07
18	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00
19	उत्तर प्रदेश	2.55	0.67	0.32
20	उत्तराखंड	0.00	3.36	2.58
21	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
22	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.86	0.00
23	असम	0.00	0.00	0.58
24	मणिपुर	1.21	3.19	4.38
25	मेघालय	0.00	1.65	0.74
26	मिजोरम	6.74	5.80	7.79
27	नगालैंड	5.21	5.85	6.41
28	सिक्किम	5.09	0.00	5.98
29	त्रिपुरा	0.00	4.94	0.00
	कुल	**59.35**	**80.00**	**95.38**

अनुबंध- III

''वन क्षेत्र में परिवर्तन'' के संबंध में दिनांक 07.02.2020 के उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1033 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हरित भारत मिशन के तहत जारी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2016-17**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	1.0553	0.4460	2.6662
2	छत्तीसगढ़	20.2301	10.9527	5.3607
3	कर्नाटक	0.8685	0.8573	1.6233
4	केरल	-	-	-
5	मणिपुर	7.8228	6.4157	4.8881
6	मिजोरम	9.8835	20.00	22.3640
7	ओडिशा	1.3896	1.4055	4.7433
8	पंजाब	-	6.2173	-
9	उत्तराखंड	-	-	-
10	मध्य प्रदेश	-	-	24.1591
11	महाराष्ट्र	-	-	10.3018
12	सिक्किम	-	-	3.3236
13	पश्चिम बंगाल	-		
कुल		**41.2499**	**46.2946**	**79.4304**

अनुबंध- **IV**

''वन क्षेत्र में परिवर्तन'' के संबंध में दिनांक 07.02.2020 के उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1033 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

केन्द्र- प्रायोजित योजना ''वन्यजीव पर्यावासों का विकास'' के तहत जारी निधियों का ब्यौरा

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	1.1849	1.4193	1.91
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0.75
3	अरुणाचल प्रदेश	2.5681	2.6993	3.4442
4	असम	0	2.7582	2.6532
5	बिहार	1.0057	3.2267	7.49
6	चंडीगढ़	0.2606	0.2606	0
7	छत्तीसगढ़	2.7894	4.3501	3.5061
8	गोवा	0	0.8599	0
9	गुजरात	4.9760	5.5852	22.32
10	हरियाणा	1.2465	1.8144	1.55
11	हिमाचल प्रदेश	2.8031	2.3741	3.7030
12	जम्मू और कश्मीर	3.3650	5.7791	4.9243
13	झारखंड	0	0.9560	0.5051
14	कर्नाटक	3.2552	4.2789	6.53
15	केरल	19.2842	9.0083	12.9340
16	मध्य प्रदेश	3.2226	13.7948	9.1220
17	महाराष्ट्र	4.9735	8.0805	10.3120
18	मणिपुर	3.4003	4.2566	4.0560
19	मेघालय	0.5523	1.1406	3.12
20	मिजोरम	12.3495	4.8744	4.30
21	नगालैंड	3.5784	5.6587	8.8220
22	ओडिशा	2.7965	3.4293	4.99
23	राजस्थान	4.5387	6.2242	5.85
24	सिक्किम	1.4552	2.0215	3.94
25	तमिलनाडु	0	3.9472	*3.8410*
26	तेलंगाना	0	1.5708	0
27	उत्तर प्रदेश	2.5095	3.8696	1.1981
28	उत्तराखंड	5.4530	29.7936	17.6410
29	पश्चिम बंगाल	2.3766	6.5799	9.6060
30	पुडुचेरी	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	0.0671	0.4630
32	दिल्ली	0	0	5.5190
33	डब्ल्यूआईआई, देहरादून	0	0	0
	कुल	**89.9454**	**150.00**	**165.00**

अनुबंध- V

''वन क्षेत्र में परिवर्तन'' के संबंध में दिनांक 07.02.2020 के उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1033 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तदर्थ काम्पा द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत जारी निधियों का राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 16-17	वित्तीय वर्ष-17-18	वित्तीय वर्ष-18-19

	जारी निधि (रू.)	जारी निधि (रू.)	जारी निधि (रू.)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	1,33,00,000.00	1,56,00,000.00
आंध्र प्रदेश	890,000,000	97,00,00,000.00	1,04,47,00,000.00
अरुणाचल प्रदेश	1,500,000,000		3,54,15,00,000.00
असम	300,000,000	70,00,00,000.00	45,84,00,000.00
बिहार	330,000,000	30,31,00,000.00	46,61,90,000.00
चंडीगढ़	10,000,000	1,13,00,000.00	1,27,00,000.00
छत्तीसगढ़	2,800,000,000	शून्य	शून्य
दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य
दिल्ली	40,000,000	शून्य	शून्य
गोवा		शून्य	शून्य
गुजरात	990,000,000	27,00,00,000.00	2,12,6600,000.00
हरियाणा	180,000,000	80,00,00,000.00	1,44,20,00,000.00
हिमाचल प्रदेश	1,506,200,000	1,20,00,00,000.00	1,32,52,00,000.00
जम्मू कश्मीर	1,020,000,000	69,00,00,000.00	शून्य
झारखंड	1,490,000,000	2,34,00,00,000.00	2,86,25,00,000.00
कर्नाटक	851,200,000	86,00,00,000.00	1,01,40,00,000.00
केरल	शून्य	8,00,00,000.00	14,61,00,000.00
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	1,400,000,000	2,00,00,00,000.00	2,68,76,00,000.00
महाराष्ट्र	2,050,000,000	1,99,00,00,000.00	2,25,00,00,000.00
मणिपुर	150,000,000	29,50,00,000.00	24,85,00,000.00
मेघालय		7,00,00,000.00	शून्य
मिजोरम	77,300,000	6,85,00,000.00	8,30,00,000.00
नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
ओडिशा	4,260,000,000	5,09,00,00,000.00	5,54,00,00,000.00
पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
पंजाब	660,000,000	64,00,00,000.00	79,20,00,000.00
राजस्थान	1,480,600,000	1,79,00,00,000.00	1,82,03,00,000.00
सिक्किम	90,000,000	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	90,000,000	12,68,00,000.00	7,00,00,000.00
तेलंगाना	1,170,000,000	1,27,00,00,000.00	2,37,38,00,000.00
त्रिपुरा	120,000,000	7,10,00,000	16,70,00,000.00
उत्तर प्रदेश	970,000,000	1,44,00,00,000.00	1,50,60,00,000.00
उत्तराखंड	1,707,100,000	96,00,00,000.00	3,03,00,00,000.00
पश्चिम बंगाल	210,000,000	शून्य	21,22,00,000.00
कुल	**26,342,400,000**	**24,049,000,000.00**	**35,235,890,000.00**